संख्या : 2100(1)/आठ–1–08–25विविध/07

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**

   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद

   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**

   समस्त विकास प्राधिकरण

   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2008

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासी एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 1967/9–आ–1–01–6रिट/2000, दिनांक 27.04.01 एवं शासनादेश संख्या 786/आठ–1–08–25 विविध/07,दिनांक 30.01.08 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शासनादेश दिनांक 27.04.01 के प्रस्तर–1(3) निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा–43 में विकलांगों के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को (I) व्यापार/उद्योग की स्थापना (II) विशेष मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना (III) विशेष विद्यालयों /पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना (VI) अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना (V) विकलांग उद्यमियों द्वारा कारखानों की स्थापना (VI) पुनर्वास गतिशीलता, सहायत्मकता युक्तियों के लिए कार्यशालाओं की स्थापना आदि के प्रयोजनों हेतु रियायती दर पर भूमि के आवंटन की अपेक्षा की गयी है।

2. अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह,

विशेष सचिव

संख्या : (1)/8–3–2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (विकास), आवास बन्धु
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव